

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

परशुराम धानका
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
15.06.2022

मिसल नम्बर
05 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

तारीख दायरा
16.03.2022

डॉ. मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....आवेदक

बनाम

श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बद्रीनारायण सिंह एफ.बी.ओ. मैसर्स महारानी जोधपुर
मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक राज. निवासी 1/76 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी
टोंक जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—


- 1—पेरोकार सरकार उपस्थित।
- 2—अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।


:-निर्णय:-

दिनांक 15.06.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2021 को समय 04:01 पी.एम. पर मैसर्स महारानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बद्रीनारायण सिंह मिला, को अपना परिचय दिया एवं उनसे परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित ने स्वयं को मैसर्स महारानी जोधपुर मिष्ठान भण्डार छावनी चौराहा टोंक जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में मिठाई, नमकीन, कचौरी, समोसा, व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ पनीर (Panner) दुकान के फ्रीजर प्लास्टिक की बाल्टी में लगभग 5 किलोग्राम रखा हुआ था, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दोनों प्रतियों में विक्रेता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह पनीर (Panner) वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किए जा रहे हैं, कुल 1 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

आवेदक ने खरीदशुदा पनीर (Panner) 1 किलोग्राम को साफ व सूखे चाकू से नियमानुसार काटकर छोटे-छोटे टुकड़े करने के बाद में प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियों में नियमानुसार बराबर-बराबर प्रत्येक शीशी में 250-250 ग्राम पनीर भरकर एवं बतौर परिरक्षित फार्मेलिन की 20-20 बूंदें प्रत्येक शीशी में डालकर शिशियों को अच्छी तरह हिला-मिलाकर शिशियों के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बन्द कर, नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबल पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-2963 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप न. आई-2963 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया व मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं० 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./21/3291 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1610/एक्ट/2021/1500 दिनांक 17.11.2021 के अनुसार विक्रेता श्री जगदीश सिंह राजपुरोहित से वास्ते मानक स्तर की जांच कराने हेतु कय किया गया पनीर (Panner) एफ.एस.एस.ए की धारा 3(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। प्रकरण में अप्रार्थी ने अवमानक (Sub-Standard) स्तर का पनीर (Panner) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं अपना जुर्म स्वीकार किया। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस पनीर (Panner) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।


हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया पनीर (Panner) नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना की श्रेणी में



आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री जगदीश सिंह राजपुराहित पुत्र श्री बद्रीनारायण सिंह पर शारित रूपये 60,000/- (अक्षरे साठ हजार रू०) आरोपित जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.06.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय अंज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०